THE UTTAR PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) ACT, 2013

[U.P. ACT NO. 16 OF 2013]

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

1- Short title, extent and commencement

2- Definitions

3- Violence against Medicare Service person and damage to property

4- Cognizability of offence

5- Recovery of loss for damage to the property

6- Act not in derogation of any other law

7- Repeal and saving

No. 1032(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)10-2013
Dated Lucknow, September 26, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chikitsa Paricharya Seva Karmi Aur Chikitsa Paricharya Sevs Sanstha (Hinsa Aur Sampatti Ki Dshati Ka Niwaran) Adhninyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 2013:-

THE UTTAR PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) ACT, 2013

[U.P. ACT NO. 16 OF 2013]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to prevent violence against medicare service persons and damage to property of medicare service institutions and for matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS acts of violence causing injury or danger to life of Medical Service Persons and damage to property of Medicare Service Institutions are rampant in the State causing unrest in medicare professionals resulting in serious hindrance in such services in the State,

AND WHEREAS it has become necessary to prevent such violent activities in the State of Uttar Pradesh by making it as a cognizable and non-bailable offence.

It is HEREBY enacted in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:-

Short title-and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 20, 2013.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Medicare Service" means the act of providing medical treatment and care including antenatal and postnatal care in connection with child birth or anything connected therewith, or nursing care in any form to persons suffering from sickness, injury or infirmities whether of body or mind ;

(b) "Medicare Service Institutions" means a medical college, a hospital, a Community Health Centre, Primary Health Centre, Health Centre by whatever name called or such other institutions providing Medicare Service to the people, which is established and managed by, or under the control of, the State Government or the Central

Government or any local authority or any private Hospital/Nursing Home, Clinic and Maternity Centre registered with Uttar Pradesh Medical and Health Department;

(c) "Medicare Service person" in relation to a Medicare Service Institution means a registered Medical Practitioner including provisional registration holder, a registered Nurse, a Medical Student, a Nursing Student and a Para-medical worker and includes any person employed and working in such institution;

(d) "Violence" means such activities as are causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any Medicare Service person in discharge of duty in or outside a Medicare Service Institution;

(e) "Property" means any property, movable or immovable or medical equipment or medical machinery owned by or in possession of, or under the control of any Medicare Service person or Medicare Service Institution;

(f) "Emergency Medical Transport Service" means all mobile medical units or medical ambulances equipped with medical equipment, used for providing Medicare Services.

Violence against Medicare Service person and damage to property

3. Whoever,-
(a) commits an act of violence against a Medicare Service person; or
(b) causes any damage to the property of any Medicare Service Institution;
shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Cognizability of offence

4. An offence punishable under section 3 shall be cognizable and non-bail able.

Recovery of loss for damage to the property

5. (1) In addition to the punishment provided under section 3, the court shall, when passing judgment, order that the accused person shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution.

(2) Where the order of compensation made under sub-section (1) is not paid, the same shall be recovered under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1950 from the accused person as if it were an arrear of land revenue .

Act not in derogation of any other law

6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

U.P. Ordinance no. 6 of 2013

7. (1) The Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and

Repeal and saving

Damage to Property) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It had been brought to the notice of the State Government that acts of violence causing injury or danger to the life of Medical Service persons and damage to the property of Medicare Service Institutions are rampant in the State causing unrest in Medicare professionals resulting in serious hindrance on such services in the State. With a view to preventing such violent activities in the State of Uttar Pradesh it was decided to make a law to provide that the acts of violence against a registered medical practitioner working in a Medicare Service Institution including provisional registration holder, a registered Nurse, a Medical Student, a Nursing Student, a Para-medical Worker and any person employed and working in such Institution causing any damage to the property of any Medicare Service Institution shall be cognizable and non-bail able offence and the guilty person shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both and that the accused person shall be liable to pay a penalty of twice the amount of purchase-price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution in addition to the said punishment.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institution (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 6 of 2013) was promulgated by the Governor on May 20, 2013.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या–1032 / 79–वि–13–1(क)10–2013
लखनऊ 26 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पर दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के प्रति हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति के निवारण एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूँकि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं जिससे चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष पैदा हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गंभीर रूप से बाधित हो रही है,

और चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे हिंसक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाते हुए उन्हें रोकना आवश्यक हो गया है,

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा संक्षिप्त नाम और परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 20 मई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(क) ''चिकित्सा परिचर्या सेवा'' का तात्पर्य, शिशु जन्म से संबंधित प्रसवपूर्व और प्रसवोपरान्त देखभाल या उससे संबंधित कोई भी बात, या किसी बीमारी, चोट या अंग शैथिल्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, से ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी रूप में परिचर्या एवं देखरेख को सम्मिलित करते हुए चिकित्सीय उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने के कृत्य से है,

(ख) ''चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था'' का तात्पर्य मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किसी चिकित्सालय, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाय, या लोगों को चिकित्सा परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य संस्थाओं से है, जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी चिकित्सालय /नर्सिंग होम, क्लीनिक और प्रसूति केन्द्र द्वारा स्थापित और प्रबन्धित हो या नियंत्रणाधीन हो और उत्तर प्रदेश चिकित्सा

एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत हो,

(ग) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के संबंध में ''चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी'' का तात्पर्य अनन्तिम पंजीकरण धारक को सम्मिलित करते हुए किसी पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार से है और इसमें ऐसी संस्था में नियोजित और कार्यरत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है

(घ) ''हिंसा'' का तात्पर्य ऐसे क्रिया कलापों से है जो चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में या उसके बाहर कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई हानि पहुँचाने, क्षति पहुँचाने या उसके जीवन को सकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या बाधा पहुँचाने वाले हों

(ङ.) ''सम्पत्ति'' का तात्पर्य किसी सम्पत्ति, स्थावर हो या जंगम, चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा यन्त्र सामग्री से है जो किसी चिकित्सा सेवा कर्मी या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के नियंत्रण में हो

(च) ''आपात चिकित्सा परिवहन सेवा'' का तात्पर्य सभी सचल चिकित्सा इकाईयों एवं चिकित्सा उपस्करों से युक्त चिकित्सा वाहन से है, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में किया जाय।

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरूद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति

3—कोई भी जो,—

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरूद्ध हिंसात्मक कृत्य करे, या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाए, ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

अपराध का संज्ञान

4—धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा।

सम्पत्ति को पहुँचाई गयी क्षति की वसूली

5—(1) धारा 3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जायेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्तिक क्षतिपूर्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6.सन् 2013

6—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

7–(1) यह उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। निरसन एवं अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लायी गयी थी कि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं, जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गम्भीर रूप से बाधित हो रही है। ऐसे हिंसात्मक कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य में रोकने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि एक कानून बनाकर यह प्रावधान किया जाय कि चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सक जिसके अन्तर्गत अनन्तिम पंजीकरण धारक, पंजीकृत नर्स चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार और ऐसी संस्था में नियोजित एवं कार्यरत कोई व्यक्ति भी है, के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना तथा चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाया जाना संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध होगा और दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और यह कि उक्त दण्ड के अतिरिक्त, आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को हुई हानि के दो गुने की शास्ति का दायी होगा।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।